FORM NO –III GCMS-2024/16

फर्द–अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम डीडवाना–कुचामन

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
आवास फाईनेन्सियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में "ए.यू. हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) 201–2012, द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–302020 राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री जयदीप सिंह		1. सुप्यार कंवर पत्नि भंवरसिंह निवासी बासेड, परबतसर, जिला– डीडवाना–कुचामन दूसरा पता– सुप्यार कंवर, आवासीय सम्पति अवस्थित पटटा संख्या 15 बुक संख्या 125, बस्सी बासेड, परबतसर, जिला– डीडवाना–कुचामन 2. भवानी सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी बासेड, परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन 3. देवेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी बासेड, परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन 4. रामकरण पुत्र सुन्दरम निवासी बासेड, परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन

किस्म मुकदमा –सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 प्रार्थना पत्र संख्या– 11 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
19/02/24	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 04.03.2024 को पेश हो। 19/2/24 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना–कुचामन	
4/3/24	पत्रावली पेश हुई। जिला बार संघ डीडवाना ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 12/3/24 को पेश हो।	
12/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी बैंक के लोन एकाउन्ट का स्टेटमेन्ट पेश करें। पत्रावली आईन्दा दिनांक 2/4/24 को पेश हो।	
2/4/24	पत्रावली पैश हुई श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य से नागौर पधारे है। पत्रावली अन्तर्गत आईन्दा दिनांक → 6/5/24 को पैश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukun
Asawa
Date: 2024.09.23 15:54:34 IS
Reason: SelfAttested

6/5/24 पत्रावली पेश हुई।
वकील प्रार्थी बैंक के लोन एकाउन्ट का स्टेटमेन्ट पेश करे।
पत्रावली आइन्दा दिनांक 10/6/24 को पेश हो।

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

10/6/24 पत्रावली पेश हुई।
वकील प्रार्थी बैंक के लोन एकाउन्ट का स्टेटमेन्ट पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 01/7/24 को पेश हो।

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

01/07/2024 पत्रावली पेश हुई।
वकील प्रार्थी बैंक के लोन एकाउन्ट का स्टेटमेन्ट पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 08/07/2024 को पेश हो।

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

8/7/24 पत्रावली पेश हुई।
वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने न तो बैंक का स्टेटमेंट पेश किया। बैंक द्वारा अप्रार्थी को कितना लोन दिया तथा अप्रार्थी द्वारा कितना लोन जमा करवा दिया। यह तथ्य भी अवगत नहीं करवाया। अतः वकील प्रार्थी आगामी तारीख पेशी पर उक्त सम्पूर्ण तथ्य की जानकारी के साथ उपस्थित रहे। पत्रावली आइंदा दिनांक 29/7/24 को पेश हो।

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Muku
Asawa
Date: 2024.09.23 16:54:34
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/7/2024 पत्रावली पेश हुई। जिला बार संघ डीडवाना ने अदालती कार्य स्थगित रखा है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 12/8/2024 को पेश हो।	
12/08/2024 पत्रावली पेश हुई। जिला बार संघ डीडवाना ने अदालती कार्य स्थगित रखा है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 02/09/2024 को पेश हो।	
2/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10/9/24 को पेश होवे। जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन	
10/9/24 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में आवास फाइनेंस लिमिटेड द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध 635901/- रु. की राशि बकाया बताये गये। पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड अनुसार ऐसा कोई दस्तावेज [illegible] है जो यह सिद्ध कर सके [illegible] द्वारा कितनी राशि का [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Bal Mukund Asawa Date: 2024.09.23 15:54:34 IST Reason: SelfAttested जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन	

म.गा.गार-292

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
10/9/24	अप्रार्थी द्वारा ब्याज सहित कितनी राशि लौटा दी एवं अप्रार्थी किस दिनांक को डिफाल्टर हुआ। प्रार्थी कम्पनी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे इस बात की जांच की जा सके कि अप्रार्थी को किस ब्याज दर से शास्ति लगाई गई एवं कब से लगाई गई।
	पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड अनुसार प्रस्तुत प्रकरण श्रीमती सुख्यार कंवर एवं भवानी सिंह को संयुक्त रूप से ऋण स्वीकृत किया गया था। प्रार्थी बैंक द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि सुख्यार कंवर के आवासीय पट्टा शुदा से वसूल करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जो यह सिद्ध कर सके कि संयुक्त रूप से लिए गये ऋण की सम्पूर्ण वसूली किसी एक आवेदक की सम्पत्ति से की जा सकें।
	अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अग्राह्य होने के कारण खारीज किया जाता है पत्रावली बाद शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 16:54:34 IST
Reason: SelfAttested